न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

ीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -
ेम कुमार पुत्र श्री राजूराम जाति मेघवाल निवासी 10 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956)

प्रकरण संख्या - 65/2019 निर्णय दिनांक - 30/09/2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रेम कुमार पुत्र श्री राजूराम जाति मेघवाल निवासी 10 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 10 बी.एल.डी. का खाता संख्या 49 प.नं. 213/399 मु.नं. 45 का 0.127 है. व प.नं. 214/399 मु.नं. 46 का 1.068 है. व प.नं. 214/400 मु.नं. 51 का 2.264 है. खातेदारी रकबा मुश्तरका खाता में 0.494 है. खातेदारी रकबा दर्ज है। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम प्रेमाराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सहीनाम प्रेम कुमार है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि समस्त दस्तावेजो में नाम प्रेम कुमार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश किर निवेदन है कि उक्त रकबा चक 10 बी. एल.डी. का खाता संख्या 49 में प्रार्थी का नाम प्रेमाराम के स्थान पर प्रेम कुमार करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार राज की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 10 बी.एल.डी. प.नं. 213/399 किला नं. 19/1 में 0.127 है., प.नं. 214/399 किला नं. 14 में 0.253 है., 15/1 में 0.107 है., 17 में 0.253 है., 24/2 में 0.227 है., 25/2 में 0.228 है., प.नं. 214/400 कि.नं. 4 ता 7 में 1.012 है., 14 ता 17 में 1.012 है., 24 में 0.202 है., 25 में 0.038 है. कुल 3.459 है. कमाण्ड कृषि भूमि रुकमा देवी पत्नी राजूराम, दीपाराम-पूर्णराम-रतीराम-प्रेमाराम-सुखराम पि. राजूराम, विमला देवी पुत्री राजूराम जाति मेघवाल ब.हि.ब. सा. बिलोचिया खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का

लगातार.........2

Priyanka
30.09.19
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

नाम प्रेम कुमार पुत्र राजूराम दर्ज है मौके पर पूछताछ के दौरान पाया गया कि प्रार्थी को प्रेम कुमार व प्रेमाराम दोनों ही नामों से जाना जाता है। जिसे दूरूस्त किया जाना उचित होगा। पुनः निवेदन है कि नामा. संख्या 251 स्वीकृत दिनांक 13/01/15 विरास्तन के साथ संलग्न वारिस प्रमाण पत्र में प्रेमाराम नाम दर्ज है। आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमाराम ना ही चला आ रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों का मनन किया गया तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में प्रेम कुमार पुत्र राजूराम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रेमाराम पुत्र राजूराम अंकित हो गया है। जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व(लेण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी चक 10 बी.एल.डी. का खाता संख्या 49 प.नं. 213/399 मु.नं. 45 का 0.127 है. व प.नं. 214/399 मु.नं. 46 का 1.068 है. व प.नं. 214/400 मु.नं. 51 का 2.264 है. खातेदारी रकबा मुश्तरका खाता में 0.494 है. खातेदारी रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमाराम पुत्र राजूराम दर्ज हो गया है, उसे सही कर प्रेमा राम उर्फ प्रेम कुमार पुत्र राजूराम दर्ज करने के दूरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka 30/09/19

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner